राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें (आई.ई.सी.) राज. जयपुर

क्रमांकः–प. 159 / आई.ई.सी. / भामाशाह स्वा.बी.यो. / 2016 / 115 दिनांकः– 28/01/2016

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं
जिला आईईसी समन्वयक,
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय :– भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु नुक्कड़ नाटक / कठपुतली कार्यक्रम करने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से जन जन को जागरूक करने के लिए सभी जिलों में प्रत्येक ब्लॉकवार 1 1 नुक्कड़ नाटक एवं कठपुतली कार्यक्रम करवाए जाने हैं। इस संबंध में राज्य स्तर से कठपुतली कार्यकम की प्रति कार्यकम की अनुमोदित दर 1498 / –राशि रुपए एवं नुक्कड़ नाटक कार्यकम की प्रति कार्यकम की अनुमोदित दर 1950 / –राशि रुपए है।

इस सम्बन्ध में सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने वाली फर्म को विभिन्न स्क्रिप्ट तैयार कर सम्बन्धित सी.एम.एच.ओ. के समक्ष अनुमोदन हेतु सात दिवस में प्रस्तुत करनी है। फर्म द्वारा प्रस्तुत स्क्रिप्टों मे से उपयुक्त एक या अधिक स्क्रिप्ट का अनुमोदन सी.एम.एच.ओ. द्वारा अधिकतम तीन दिवस में किया जाना है एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाली फर्म को कार्यक्रमों के स्थानों की सूची मय समय व दिनांक आपको उपलब्ध करवानी है।

1.सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निम्नानुसार कलाकार / वाद्य यंत्र / समय रहेगा :–

(अ) **कठपुतली** :–
- इस कार्यक्रम के दल में 4 कलाकार होंगे।
- एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी।

(ब) **नुक्कड़ नाटक** :–
- इस कार्यक्रम के दल में 8 कलाकार होंगे।
- एक कार्यक्रम की अवधि कम से कम 1 घण्टा 30 मिनट होगी।
- हारमोनियम एवं आवश्यकतानुसार अन्य वाद्य यंत्र आवश्यक है।

2. फर्म को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय द्वारा भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना की मुद्रित सामग्री वितरण एवं प्रदर्शन के लिए उपलब्ध करवायी जानी है।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर ले कि कार्यक्रम दल के पास उत्तम गुणवत्ता के वाद्य यंत्र / कठपुतली एवं साफ सुथरी पोशाक होनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान आवश्यकतानुसार वाद्य यन्त्रों एवं ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जाना आवश्यक है।
4. कार्यक्रम आबादी क्षेत्र के सुगम एवं प्रमुख स्थान पर सम्पादित करवाये। जिससे अधिकाधिक जनता को कार्यक्रम का लाभ मिल सकें।
5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर ले कि एक सांस्कृतिक दल एक दिन में अधिकतम दो कार्यक्रम ही करेगा।
6. सांस्कृतिक दल कार्यक्रम से एक घण्टे पूर्व कार्यक्रम स्थल पर पहुँचकर कार्यक्रम का प्रचार–प्रसार करेगा एवं अधिकाधिक लोगों को कार्यक्रम देखने हेतु प्रेरित करेगा।
7. इन कार्यक्रमों का भुगतान आपको पूर्व में (पत्र क्रमांक 43 दिनांक 13/01/2016 के क्रम में) "दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि." द्वारा उपलब्ध करवाए गए एक लाख रुपए की राशि से किया जाना है। अतः फर्म बिल दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि. के नाम से ही बनवाये एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्क्रिप्ट अनुमोदन एवं कार्यक्रम स्थलों की सूची उपलब्ध कराने की दिनांक से 25 दिवस में उपरोक्त लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम को सम्पादित कर किये गये कार्य का बिल (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रमाणित करवा कर दी न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लि. के अपने जिले के प्रतिनिधि से सम्पर्क करें।

संलग्नः– पत्र क्रमांक 43 दिनांक 13/1/2016

अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
निदेशक (आई.ई.सी.),
विशिष्ट शासन सचिव एवं
सीईओ–स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी

क्रमांकः- प. 159 /आई.ई.सी./भामाशाह स्वा.बी.यो./2016/115 दिनांकः- 28/01/2016

प्रतिलिपिः-

1. श्रीमान् विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (आर.सी.एच.) चिकि. एवं स्वा. सेवायें, राजस्थान जयपुर।
5. सलाहकार, आई.एस.सी., मुख्यालय, जयपुर।
6. दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी
7. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
निदेशक (आई.ई.सी.),
विशिष्ट शासन सचिव एवं
सीईओ-स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी